न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 89/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 12.04.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/89

अब्दुल हमीद पिता मेहबुब खाँ, जाति पठान मुसलमान, उम्र 68 वर्ष, निवासी कोदियाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1–दिलावर खाँ पिता छोटे खाँ, जाति पठान मुसलमान, उम्र 44 वर्ष, निवसी ऊंचा, हाल निवास सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत सिंहपुर जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 57 दिनांक 17.12.2019 विक्रय विलेख की रजिस्ट्री दिनांक 20.12.2019 ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन

उपस्थिति : 1–श्री सैयद अशफाक अली, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री शुभम कुमार जैन, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 89/2022 (नि.पं.)
अब्दुल हमीद पिता मेहबुब खॉं पठान मुसलमान निवासी कोदियाखेड़ी, तहसील कपासन बनाम दिलावर खॉं पिता छोटे खॉं पठान मुसलमान निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन वगैरा

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन द्वारा गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 17.12.2019 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विधि अनुरूप नहीं होकर कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त विवादित भूखण्ड निगराकार का खरीदशुदा होकर गैर निगराकार संख्या 1 का पुश्तैनी नहीं होने से उक्त पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 17.12.2019 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर ने पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख प्रस्तुत किया। गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रवि बाथरा ने तथा उसके पश्चात् पुनः अधिवक्ता श्री शुभम कुमार जैन ने अधिकार पत्र एवं लिखित बहस पेश की। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, सिंहपुर ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने तथा अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम सिंहपुर के हल्का आबादी में निगराकार के स्वामित्व, कब्जे अधिकार का एक भूखण्ड कपासन से चित्तौड़ रोड़ पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया हुआ है जिसकी चौडाई 40 फीट व लम्बाई 60 फीट है जिसमें निगराकार ने एक कमरा, लेट्रिंग व बाथरूम बनाया हुआ है जो निगराकार के स्वामित्व अधिकार में चला आ रहा है। प्रार्थी निगराकार की एक बहिन जमीला उर्फ बीबी गैर निगराकार संख्या दो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की शादी गांव उँचा तहसील राशमी में गैर निगराकार संख्या एक छोटे खाँ के साथ कराई थी इनके अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 3 दिलावर खाँ पुत्र है। गैर निगराकार के ग्राम उँचा में कोई काम धन्धा नहीं चलने से तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने से निगराकार ने अपने बहन–बहनोई व भांजा होने के नाते मदद के तौर पर उन्हें अपने यहां बुलाया और गैर निगराकार संख्या 1 छोटे खाँ मकान निर्माण का कारीगरी का काम करता होने से उसे अपने यहां रखा मदद के तौर पर अपने मकान में रहने दिया हर समय निगराकार अपने प्लॉट व मकान की देखभाल के लिये आता–जाता रहा है तथा बहन–बहनोई होने के नाते अपने मकान की देखभाल का जिम्मा इन्हें सम्भला दिया। निगराकार राजसमन्द में जे. के. टायर फैक्ट्री में कार्यरत था और कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के कारण अपने पैतृक गांव कोदियाखेड़ी में रहने लगा। निगराकार की माता की मृत्यु के समय गैर निगराकार की माता जमीला गांव कोदियाखेडी आई थी उस समय गैर निगराकार की माता जमीला ने सारे कागजात चुराकर अपने साथ ले आई थी जिसका पता निगराकार को चलने पर दिनांक 31.01.2022 को निगराकार ने अपने बहन–बहनोई से उक्त प्लॉट के कागजात मांगे तो उन्होने देने से इन्कार कर दिया और निगराकार से लडाई–झगड़ा किया और कहा कि हमने अपने नाम पट्टा बनवा लिया है ग्राम पंचायत में जब जानकारी की तो पता चला कि गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर पूर्ण सुनियोजित षड़यंत्र रचकर निगराकार के स्वामित्व वाले प्लॉट का पट्टा अपने नाम जारी करा लिया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नियम 157 (1) के तहत बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाए गैर निगराकार का 50 वर्ष का कब्जा मानते हुए पट्टा जारी किया है जबकि दिलावर खाँ 42 वर्ष का है पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत नियमों की पालना नहीं की गई नक्शा नवीस द्वारा कोई नक्शा नहीं बनाया, आनन–फानन में पत्रावली तैयार कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जबकि पट्टा जारी करने से पूर्व कोई उजरादारी जारी नहीं की या किसी अखबार में प्रकाशन नहीं कराया और गुपचुप पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टेशुदा प्लॉट कभी भी गैर निगराकार या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसके बाप–दादाओं का पुश्तैनी नहीं है फिर भी पट्टा जारी कर दिया जो विधि–विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा गैर निगराकार दिलावर खॉं के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 17.12.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 17.12.2019 विधिवत् पंचायती राज नियमों की पालना कर जारी किया गया है। निगराकार ने रंजिशवश गलत तथ्यों के आधार पर विधि–विपरीत यह निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 में जारी पट्टे के विरूद्ध अपील करने के प्रावधान है और यह अपील संबंधित पंचायत समिति को किये जाने का विधि में प्रावधान है जब अपील का प्रावधान हो और कोई अपील न करे और अपील न करने का कारण प्रदर्शित न करे तो उसे सीधे धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और निगराकार ने मौजूदा निगरानी में ऐसा कोई कारण निगरानी मे प्रदर्शित नहीं किया। निगराकार धारा 61 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है जिससे उक्त निगरानी में ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील मेन्ट्नेबल नहीं है अतः इसी बिन्दु पर अपील खारिज योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह विधि अनुसार सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात् जारी किया है जिसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया है साक्ष्य स्वरूप अखबार में प्रकाशन की छायाप्रति संलग्न है। निगराकार ने आपत्तियां आमंत्रित करने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की और अब निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पिता छोटे खॉं जिनकी उम्र 74 वर्ष की है के समय से उक्त मकान पर कब्जा होने के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 का 50 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुए यह पट्टा नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया है जो पूर्णतः विधि–सम्मत है। गैर निगराकार संख्या 1 के पिता का कच्चा मकान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बना होने तथा बी. पी. एल. परिवार होने से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उक्त कच्चे मकान पर तीन किश्तों में राशि जारी की गई है जिससे भी उक्त मकान पर गैर निगराकार संख्या 1 का स्वामित्व एवं पुराना कब्जा सिद्ध है अतः निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से पुरानी आपसी रंजिशवश गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार प्रकरण में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान होने की स्थिति में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल है अथवा नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पंचायत के आदेशों की अपील पंचायत समिति को 30 दिवस के भीतर–भीतर किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत किसी भी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियाँ जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा 61 के तहत किये गये अपील प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपील नहीं करता है तो धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। क्योंकि धारा 97 के तहत जिला कलक्टर को पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्रदान की गई है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्युरिडक्शन की श्रेणी में आता है। अतः विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का यह कथन की अधिनियम में अपील का प्रावधान होने से धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नहीं है, मानने योग्य नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार ने अपनी निगरानी में निगराकार की बहिन जमीला उर्फ बीबी गैर निगराकार संख्या 2 की शादी गांव उंचा में गैर निगराकार संख्या 1 छोटे खॉं के साथ होने तथा गैर निगराकार संख्या 3 दिलावर खां उनका पुत्र होने का कथन किया है यहां सर्वप्रथम हम यह स्पष्ट कराना चाहेंगे कि निगराकार ने अपनी निगरानी में 03 गैर निगराकार पक्षकार नहीं बनाए हैं बल्कि कुल 02 गैर निगराकार पक्षकार बनाये है गैर निगराकार संख्या 1 जो कि दिलावर खां है तथा गैर निगराकार संख्या 02 ग्राम पंचायत सिंहपुर को बनाया है अर्थात् निगराकार ने जमीला उर्फ बीबी एवं छोटे खां को अपनी निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया है। साथ ही निगराकार ने जमीला उर्फ बीबी एवं छोटे खॉं उनके बहन–बहनोई होने तथा गैर निगराकार संख्या 1 दिलावर खॉं उनका भांजा होने एवं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उन्हें उंचा से यहां लाकर अपने मकान/प्लॉट में रहने देने व मकान की सार–सम्भाल का जिम्मा सौंपने का कथन किया है जबकि अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो।

जहां विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं करने, नक्शा नवीस द्वारा नक्शा नहीं बनाने तथा आपत्तियों के संबंध में उजरदारी/नोटिस का प्रकाशन नहीं कराने का कथन किया है वहां भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस न्यायालय में पेश अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत में गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा आवेदन करने पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल संख्या 320 दिनांक 05.07.2019 कायम की है तथा (उक्त मिसल की स्वयं निगराकार ने प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है) तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है मकान का नक्शा बनाया गया है साथ ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 06.08.2019 को आपत्तियों के संबंध में नोटिस/सार्वजनिक सूचना पत्र भी जारी किया है जिसका प्रकाशन समाचार पत्र में कराया गया है जिसमें मात्र गैर निगराकार संख्या 1 के पट्टे के संबंध में ही नहीं बल्कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 89/2022 (नि.पं.)
अब्दुल हमीद पिता मेहबुब खॉं पठान मुसलमान निवासी कोदियाखेड़ी, तहसील कपासन बनाम दिलावर खॉं पिता छोटे खॉं पठान मुसलमान निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन वगैरा

कुल 89 व्यक्तियों को पट्टा जारी किये जाने के संबंध में उजरदारी नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई है तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 17.12.2019 को उक्त पट्टा जारी किया है।

निगराकार ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूखण्ड पर उसका कब्जा होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो जबकि गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिनके अन्तर्गत बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, बी. पी. एल. परिवार का राशनकार्ड, गैस कनेक्शन का फार्म एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सिंहपुर में निवास करने तथा पात्र होने से विवादित भूखण्ड पर वित्तीय वर्ष 2016–2017, 2017–2018 एवं 2018–2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की किश्ते जारी की गई है जिससे प्रथम दृष्ट्या गैर निगराकार संख्या 01 का विवादित भूखण्ड पर उसका पुराना कब्जा होने संबंधी पुष्टि होती है।

निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर हम यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं मानते हैं। साथ ही निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को नाजायाज लाभ पहुंचाने की नियत से अनियमितता कर यह पट्टा जारी करने एवं अपने विवादित मकान/भूखण्ड पर कब्जे संबंधी कथन की भी पुष्टि नहीं कराई है जबकि गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से उसके विवादित मकान/भूखण्ड पर कब्जे की पुष्टि होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 17.12.2019 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official